डॉ0 शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय,लखनऊ
विद्या परिषद् की द्वितीय बैठक
02 मार्च, 2015 का एजेण्डा नोट

समय –	11.30 बजे पूर्वान्ह्
स्थान –	सभागार, पंचम तल, प्रशासनिक भवन, विश्वविद्यालय, लखनऊ।

एजेण्डा सूची

कम संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
2.1	विद्या परिषद की प्रथम बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या	1–4
2.2	नवीन शैक्षिक सत्र 2015–16 में प्रवेश प्रक्रिया निर्धारण के सम्बन्ध में।	5
2.3	विश्वविद्यालय द्वारा संस्थाओं को सम्बद्धता के सम्बन्ध में परिनियमावली में प्राविधान।	6
2.4	कृत्रिम अंग एवं पुनर्वास केन्द्र की स्थापना के सम्बन्ध में।	7
2.5	शैक्षिक संवर्ग के पदों पर नवनियुक्त शिक्षकवृन्द के सम्बन्ध में।	8
2.6	विश्वविद्यालय में क्रियाशील एवं प्रस्तावित विभागों के सम्बन्ध में।	9
2.7	द्वितीय दीक्षान्त समारोह, माह सितम्बर–अक्टूबर 2015 के आयोजन के सम्बन्ध में।	10
2.8	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा–12(बी) के सम्बन्ध में।	11
2.9	विश्वविद्यालय के अधीन फाइन आर्टस पाठ्यक्रम (ललित कला संकाय) संचालन के सम्बन्ध में।	12
2.10	विधि संकाय में शैक्षिक/गैर–शैक्षिक संवर्ग में अतिरिक्त पदों का सृजन, हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषा विभाग में अतिरिक्त पद सृजन तथा विश्वविद्यालय में कृत्रिम अंग एवं पुनर्वास केन्द्र की स्थापना व उससे सम्बन्धित पाठ्यक्रम संचालित किये जाने के सम्बन्ध में।	13–16
2.11	विश्वविद्यालय में दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से पाठ्यक्रम संचालित किये जाने के सम्बन्ध में।	17
2.12	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दु।	18

बिन्दु संख्याः 2.1

दिनांक 13.10.2014 को सम्पन्न विद्या परिषद की प्रथम बैठक में लिए गये निर्णयों की अनुपालन आख्या

बिन्दु सं0	निर्णय	अनुपालन आख्या
1.1	**विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2014–15 के एकेडमिक कैलेण्डर पर अनुमोदन के सम्बन्ध में।** **निर्णयः**–विद्या परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2014–15 के एकैडमिक कैले ण्डर का अवलोकन कर अनुमोदन प्रदान किया गया।	कार्यवाही सुनिश्चित की गयी।
1.2	**विश्वविद्यालय में स्कूल बोर्ड/फैकल्टी बोर्ड एवं बोर्ड ऑफ स्टडीज के गठन के सम्बन्ध में।** **निर्णयः**–विद्या परिषद द्वारा विश्वविद्यालय में स्कूल बोर्ड/फैकल्टी बोर्ड एवं बोर्ड ऑफ स्टडीज के गठन किये जाने के सम्बन्ध में लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ में प्राविधानित स्कूल बोर्ड/फैकल्टी बोर्ड बोर्ड ऑफ स्टडीज के प्रतिरूप एवं संरचना को अंगीकृत किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।	कार्यवाही सुनिश्चित की गयी।
1.3	**विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा–निर्देश के क्रम में विश्वविद्यालय के स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों में "पर्यावरणीय अध्ययन" को आरम्भ किये जाने के सम्बन्ध में।** **निर्णयः**–विद्या परिषद द्वारा यथा प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।	उक्त के क्रम में अनुपालन किया जा रहा है।
1.4	**विश्वविद्यालय के विजिटिंग प्रोफेसर उलरीके जीशान, यूनिवर्सिटी आफ सेन्ट्रल लंकाशायर, इंग्लैण्ड एवं श्री रवीन्द्र जैन सुप्रसिद्ध संगीतकार के सम्बन्ध में।** **निर्णयः**–विद्या परिषद द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव के अवलोकनोपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया।	अनुपालन किया जा रहा है।
1.5	**शैक्षिक संवर्ग के पदों पर नवनियुक्त शिक्षकवृन्द के सम्बन्ध में।** **निर्णयः**–विद्या परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।	अनुपालन किया जा रहा है।
1.6	**विश्वविद्यालय में क्रियाशील एवं प्रस्तावित विभागों के सम्बन्ध में।** **निर्णयः**–विद्या परिषद द्वारा उपरोक्त का अवलोकन करते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया।	अनुपालन किया जा रहा है।
1.7	**विश्वविद्यालय में शैक्षणिक–सत्रवार संचालित पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में।** **निर्णयः**–विद्या परिषद् द्वारा उपरोक्त का अवलोकन करते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया।	अनुपालन किया जा रहा है।

(अखिलेन्द्र कुमार)
कुलसचिव

(Dr. Nishith Rai)
Vice-Chancellor

डॉ0 शकुन्तला मिश्रा
...य पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ

Dr. Shakuntala Misra
National Rehabilitation University
Lucknow

1.8	विद्यार्थियों द्वारा शिक्षकवृन्द का विषयवार मूल्यांकन व्यवस्था के सम्बन्ध में। निर्णयः–विद्या परिषद् द्वारा उपरोक्त का अवलोकन करते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया।	कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है।
1.9	विश्वविद्यालय में पी0एच0डी0 प्रोग्राम संचालन के सम्बन्ध में। निर्णयः–विद्या परिषद द्वारा पी0एच0डी0 के अन्तर्गत रिसर्च मैथिडोलॉजी एवं कम्प्यूटर पाठ्यक्रम का अध्यापन उभयनिष्ठ होगा। विद्या परिषद द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव का अवलोकन करते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया।	अनुपालन किया जा रहा है।
1.10	सेण्टर फॉर इण्डियन साइन लैंग्वेज एण्ड डैफ स्टडीज की स्थापना के सम्बन्ध में। निर्णयः–विद्या परिषद द्वारा उपरोक्त का अवलोकन करते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया।	अनुपालन किया जा रहा है।
1.11	सेण्टर फॉर रिहैबिलिटेशन एण्ड डेवलपमेन्ट स्टडीज' की स्थापना के सम्बन्ध में। निर्णयः–विश्वविद्यालय में सेण्टर फॉर रिहैबिलिटेशन एण्ड डेवलपमेन्ट स्टडीज की स्थापना हेतु विकलांगता के क्षेत्र के विशेषज्ञों की एक समिति गठित की जाय जो सेण्टर फॉर रिहैबिलिटेशन एण्ड डेवलपमेन्ट स्टडीज हेतु सुविचारित प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी, जिसे विचारार्थ आगामी कार्यपरिषद की बैठक में प्रस्तुत किया जाय।	कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है।
1.12	विश्वविद्यालय में Centre for Journalism & Mass Communication की स्थापना के सम्बन्ध में। निर्णयः–विद्या परिषद द्वारा उपरोक्त का अवलोकन करते हुये अनुमोदन प्रदान किया गया।	कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है।
1.13	विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय महत्व का विश्वविद्यालय घोषित किए जाने के सम्बन्ध में। निर्णयः–विद्या परिषद द्वारा अवलोकन किया गया।	कार्यवाही सुनिश्चित की जा चुकी है।
1.14	प्रथम दीक्षान्त समारोह–दिनांक 30 सितम्बर, 2014 के आयोजन के सम्बन्ध में। निर्णयः–विद्या परिषद द्वारा उपरोक्त का अवलोकन करते हुये अनुमोदन प्रदान किया गया।	कार्यवाही सुनिश्चित की जा चुकी है।
1.15	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा–12(बी) के सम्बन्ध में। निर्णयः– विद्या परिषद उपरोक्त प्रस्ताव से अवगत हुई।	अनुपालन किया जा चुका है।
1.16	वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत बी0कॉम0 एवं एम0कॉम0 पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में। निर्णयः–विद्या परिषद द्वारा उपरोक्त का अवलोकन करते हुये अनुमोदन प्रदान किया गया है।	अनुपालन किया जा रहा है।
1..17	विधि संकाय के अन्तर्गत बी0काम0एल0एल0बी0 (आनर्स) इन्टीग्रेटेड पंचवर्षीय पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में।	अनुपालन किया जा रहा है।

(Dr. Nishith Rai)
Vice-Chancellor
Dr. Shakuntala Misra
National Rehabilitation University
Lucknow

कुलसचिव
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय

	निर्णयः—विद्या परिषद द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया है।	
1.18	**विश्वविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों की विषय सामग्री के सम्बन्ध में।** **निर्णयः**—विद्या परिषद द्वारा अवगत होते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया है।	अनुपालन किया जा रहा है।
1.19	**दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से पाठ्यकम के संचालन के संबंध में।** **निर्णयः**—विद्या परिषद द्वारा विश्वविद्यालय में दूरस्थ शिक्षा के अन्तर्गत 'दूरस्थ एवं सतत शिक्षा केन्द्र' की स्थापना किये जाने एवं उक्त हेतु एक समिति गठित किये जाने का निर्णय लिया गया है जो दूरस्थ शिक्षा के सम्बन्ध में अपने सुझाव को संस्तुति सहित प्रस्तुत करेगी जिसके आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जाय।	अनुपालन किया जा रहा है।
1.20	**विश्वविद्यालय से सम्बद्धता किये जाने के सम्बन्ध में।** **निर्णयः**—विश्वविद्यालय से सम्बद्धता किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।	अनुपालन किया जा रहा है।
1.21	**<u>अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दु</u>** **अध्यक्ष महोदय की अनुमति से उठाये गये अन्य बिन्दुओं पर विचारोपरान्त विद्या परिषद द्वारा <u>निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं</u>**— 1. विद्या परिषद द्वारा विश्वविद्यालय में विभिन्न संकायों पर विज्ञापित होने वाले प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर/असिस्टेण्ट प्रोफेसर के पदों हेतु गठित होने वाली चयन समितियों में विशेषज्ञ सदस्यों को नामित किये जाने हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया। 2. विश्वविद्यालय में इण्टरनल क्वालिटी एश्योरेन्स सेल (IQAC) का गठन किया जाय। 3. विश्वविद्यालय में सृजित 29 विभागों के अन्तर्गत सृजित पदों के सापेक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नियमन के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर पद डायवर्जन किये जाने हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया। 4. विश्वविद्यालय में सृजित 29 विभागों के अन्तर्गत दर्शनशास्त्र विभाग की वर्तमान में अनुपयोगिता के दृष्टिगत् दर्शनशास्त्र विभाग के स्थान पर पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग प्रारम्भ किया जाय किन्तु उक्त विभाग को कियाशील रखने हेतु सहायक आचार्य का एक पद बनाये रखा जाय।	 अनुपालन किया गया/कार्यवाही सम्पादित की जा रही है।

(अखिलेन्द्र कुमार)
कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ

(Dr. Nishith Rai)
Vice-Chancellor
Dr. Shakuntala Misra
National Rehabilitation University
Lucknow

बिन्दु संख्याः 2.2

नवीन शैक्षिक सत्र 2015–16 में प्रवेश प्रकिया निर्धारण के सम्बन्ध में।

विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2015–16 हेतु **प्रवेश समन्वयक का दायित्व प्रो0 डी0 एन0 सिंह, विभागाध्यक्ष, हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषा विभाग** को सौंपा गया है।

शैक्षणिक सत्र 2015–16 हेतु विश्वविद्यालय में संचालित व्यवसायिक पाठ्यक्रम एम0बी0ए0, बी0कॉम0एलएल0बी (आनर्स) पंचवर्षीय, एम0एड0 (विशेष शिक्षा) बी0एड0 (विशेष शिक्षा) एवं डी0एड0 (विशेष शिक्षा) हेतु प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यह प्रवेश परीक्षा वस्तुनिष्ठ होगी। तत्पश्चात् साक्षात्कार के माध्यम से सफल परीक्षार्थियों को संबंधित पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जाएगा। उक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया कुल 100 अंकों की होगी। कुल अंकों के भारण हेतु लिखित परीक्षा 50 अंक, शैक्षिक योग्यता हेतु 35 अंक एवं साक्षात्कार हेतु 15 अंक निर्धारित किये जायेंगे तथा शेष पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया यथावत् रहेगी।

प्रस्तावः–

कृपया उपरोक्त से अवगत होते हुये विद्या परिषद् अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

निर्णयः–

उपरोक्त प्रस्ताव पर चर्चा के उपरान्त विद्या परिषद द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान करते हुए निर्णय लिया गया कि प्रवेश समन्वयक शैक्षिक सत्र (2015–16) संबंधित विभागाध्यक्षों से परामर्श के उपरान्त विश्वविद्यालय में संचालित व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में आगामी शैक्षणिक सत्र 2015–16 की प्रवेश प्रकिया के लिये आयोजित की जाने वाली प्रवेश परीक्षा के लिये विभागाध्यक्षों के अभिमत को निर्णयार्थ प्रस्तुत करेंगे। लिखित परीक्षा, शैक्षिक योग्यता एवं साक्षात्कार हेतु निर्धारित कुल 100 अंको में भारण हेतु किये गये अंको के निर्धारण में शैक्षिक योग्यता के अंतर्गत एन.सी.सी./एन.एस.एस. के भारांक प्रदान किये जायेंगे।

(अखिलेन्द्र कुमार)
कुलसचिव
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ

(Dr. Nishith Rai)
Vice-Chancellor
Dr. Shakuntala Misra
National Rehabilitation University
Lucknow

बिन्दु संख्याः 2.3

विश्वविद्यालय द्वारा संस्थाओं की सम्बद्धता के सम्बन्ध में परिनियमावली में प्राविधान

विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा–5 के अनुच्छेद (दो) में विश्वविद्यालय को यह शक्ति भी प्रदान की गई है कि वह राज्य के ऐसे महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं, जो ज्ञान की नैत्यिक शाखाओं के अतिरिक्त भारतीय पुनर्वास परिषद् के मानकानुसार विशेष शिक्षा भी देते हैं, को विहित शर्तो पर सम्बद्धता प्रदान कर सकता है। विहित शर्तो के उल्लंघन की स्थिति में सम्बद्धता वापस लेने का भी प्रावधान है।

विश्वविद्यालय की सामान्य परिषद् की विगत बैठक में उक्त प्राविधान के अनुपालन में अग्रतर कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया था, जिसके अनुपालन में विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली में एक नया अध्याय–**अध्याय ग्यारह ए (CHAPTER-XI A)** जोड़ते हुए सम्बद्धता विषयक आलेख तैयार कर लिया गया है। यह आलेख उच्च शिक्षा विभाग के अधीन संचालित राज्य विश्वविद्यालयों की प्रथम परिनियमावली एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कालेजों की सम्बद्धता के सम्बन्ध में जारी विनियमों के आधार पर सामयिक आवश्यकतानुरूप परिवर्तन करते हुए तैयार किया गया है। प्रस्ताव है कि सम्बद्धता की विषयगत कार्यवाही शिक्षा–सत्र 2015–16 से प्रारम्भ कर दी जाये। **(परिशिष्ट–01 संलग्न)**

प्रस्तावः–

विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली में संस्थाओं की सम्बद्धता विषयक अध्याय ग्यारह ए (CHAPTER-XI A) जोड़े जाने हेतु प्रस्तुत आलेख तथा आगामी शिक्षा–सत्र से सम्बद्धता की कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने के प्रस्ताव पर विद्या परिषद् का अनुमोदन प्रार्थित है।

निर्णयः–

विद्या परिषद द्वारा उपरोक्तानुसार प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

(अखिलेन्द्र कुमार)
कुलसचिव
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ

(Dr. Nishith Rai)
Vice-Chancellor
Dr. Shakuntala Misra
National Rehabilitation University
Lucknow

बिन्दु संख्याः 2.4

कृत्रिम अंग एवं पुनर्वास केन्द्र की स्थापना के सम्बन्ध में।

दिनांक 12 फरवरी, 2015 को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विश्वविद्यालय में कृत्रिम अंग एवं पुनर्वास केन्द्र की स्थापना की घोषणा की गयी है**(परिशिष्ट–01 संलग्न)**। तत्सम्बन्ध में श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति, जयपुर से परामर्श/अग्रिम कार्यवाही हेतु पत्राचार किया गया, जिसमें श्री भगवान महावीर सहायता समिति जयपुर द्वारा कृत्रिम अंग एवं पुनर्वास केन्द्र हेतु एम0ओ0यू0 विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराया गया है। **(परिशिष्ट–02 संलग्न)** एम0ओ0यू0 की तकनीकी जानकारी/विधिक परीक्षण के लिये विश्वविद्यालय से अनुबन्धित अधिवक्ता को प्रेषित किया गया है।

प्रस्तावः–

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव से विद्या परिषद् अवगत होना चाहें।

निर्णयः–

विद्या परिषद द्वारा उपरोक्तानुसार प्रस्ताव से अवगत होते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया।

(आखिल...)
कुलसचिव
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ

(Dr. Nishith...)
Vice-Chancellor
Dr. Shakuntala Misra
National Rehabilitation University
Lucknow

बिन्दु संख्याः 2.5

शैक्षिक संवर्ग के पदों पर नवनियुक्त शिक्षकवृन्द के सम्बन्ध में।

विश्वविद्यालय में शैक्षिक संवर्ग के अन्तर्गत नव नियुक्त शिक्षकवृन्द द्वारा निम्नानुसार विभागों में योगदान करते हुए कार्यभार ग्रहण किया गया है–

क्र0सं0	विभाग का नाम	शिक्षक का नाम	पदनाम व विभाग
1	विधि विभाग	डा0 शेफाली यादव	प्रोफेसर, विधि
2		डा0 गुलाब चन्द्र राय	असिसटेण्ट प्रोफेसर, विधि
3		डा0 गिरजेश शुक्ला	असिसटेण्ट प्रोफेसर, विधि
4		श्रीमती विजेता दुआ	असिसटेण्ट प्रोफेसर, विधि
5		श्री शैल शाक्य	असिसटेण्ट प्रोफेसर, विधि
6	वाणिज्य विभाग	डा0 प्रेम मोहन	प्रोफेसर, वाणिज्य
7		डा0 संजीव गुप्ता	एसोसिएट प्रोफेसर, वाणिज्य
8		डा0 पुष्पेन्द्र मिश्रा	एसोसिएट प्रोफेसर, वाणिज्य
9		डा0 कौशिकी सिंह	असिसटेण्ट प्रोफेसर, वाणिज्य
10		डा0 विकास राय	असिसटेण्ट प्रोफेसर, वाणिज्य
11		डा0 नरेन्द्र प्रताप सिंह	असिसटेण्ट प्रोफेसर, वाणिज्य
12	प्रबन्धशास्त्र विभाग	डा0 नागेन्द्र यादव	प्रोफेसर, प्रबन्धशास्त्र
13	राजनीति शास्त्र एवं लोक प्रशासन	डा0 ममता यादव	एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीति शास्त्र
14		डा0 आशुतोष पाण्डेय	एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीति शास्त्र
15	इतिहास विभाग	डा0 अवनीश चन्द्र मिश्रा	प्रोफेसर, इतिहास
16		डा0 मल्लिका सक्सेना	एसोसिएट प्रोफेसर, इतिहास
17	अर्थशास्त्र विभाग	डा0 अनामिका चौधरी	एसोसिएट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र
18		डा0 राशि कृष्ण सिन्हा	एसोसिएट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र
19	अंग्रेजी एवं अन्य विदेशी भाषा विभाग	डा0 कविता त्यागी	एसोसिएट प्रोफेसर, अंग्रेजी
20		डा0 विपिन कुमार पाण्डेय	एसोसिएट प्रोफेसर, अंग्रेजी
21	श्रवण बाधितार्थ विभाग	डा0 कौशल शर्मा	एसोसिएट प्रोफेसर, श्रवण बाधितार्थ
22		डा0 मृत्युंजय मिश्रा	एसोसिएट प्रोफेसर, श्रवण बाधितार्थ
23		श्री सीता राम पाल	असिसटेण्ट प्रोफेसर, श्रवण बाधितार्थ
24	मानसिक मंदितार्थ विभाग	डा0 अरविन्द शर्मा	एसोसिएट प्रोफेसर, मानसिक मंदितार्थ
25		श्रीमती जे0 कल्याणी	असिसटेण्ट प्रोफेसर, मानसिक मंदितार्थ
26		श्री महेश कुमार चौधरी	असिसटेण्ट प्रोफेसर, मानसिक मंदितार्थ
27		श्री संजय कुमार	असिसटेण्ट प्रोफेसर, मानसिक मंदितार्थ
28	दृष्टि बाधितार्थ विभाग	डा0 विजय शंकर शर्मा	एसोसिएट प्रोफेसर, दृष्टि बाधितार्थ
29		डा0 आद्या शक्ति राय	एसोसिएट प्रोफेसर, दृष्टि बाधितार्थ
30		डा0 दिनेश कमार	असिसटेण्ट प्रोफेसर, दृष्टि बाधितार्थ
31		श्री बृजेश कुमार राय	असिसटेण्ट प्रोफेसर, दृष्टि बाधितार्थ
32	ललित कला विभाग	डा0 अवधेश प्रसाद मिश्र	असिसटेण्ट प्रोफेसर, ललित कला

प्रस्तावः–कृपया विद्या परिषद् उपरोक्त नवनियुक्त शिक्षकवृन्द के कार्यभार ग्रहण करने की स्थिति से संज्ञानित होना चाहें।

निर्णयः–विद्या परिषद् द्वारा उपरोक्तानुसार संज्ञानित होते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया।

(अखिलेन्द्र कुमार)
कुलसचिव
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ

(Dr. Nishith Rai)
Vice-Chancellor
Dr. Shakuntala Misra
National Rehabilitation University
Lucknow

बिन्दु संख्याः 2.6

विश्वविद्यालय में क्रियाशील विभाग एवं प्रस्तावित विभाग के सम्बन्ध में।

विश्वविद्यालय में सृजित 07 संकाय के अन्तर्गत 29 विभागों में से वर्तमान में 05 संकाय के अन्तर्गत 13 विभाग क्रियाशील है, जिनमें विश्वविद्यालय में वर्तमान तक सृजित पद के सापेक्ष भरे गये/नियुक्त किये जा चुके पदों का अद्यतन विवरण निम्नवत है –

क्र. सं.	विभाग का नाम	पूर्व में सृजित पद			यू0जी0सी0के अनुरूप स्वीकृत अतिरिक्त पद			कुल पद			कुल पद के सापेक्ष भरे/नियुक्त किये जा चुके पदों का अद्यतन विवरण		
		प्रो0	एसो0 प्रो0	असि0 प्रो0	प्रो0	एसो0 प्रो0	असि0 प्रो0	प्रो0	एसो0 प्रो0	असि0 प्रो0	प्रो0	एसो0 प्रो0	असि0 प्रो0
(1)	(2)	(3)			(4)			(5=3+4)			(6)		
1	हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषा	01	02	04				**01**	**02**	**04**	01	02	04
2	अंग्रेजी एव अन्य विदेशी भाषा	01	01	02		01	01	**01**	**02**	**03**	01	02	02
3	इतिहास	01	02	04				**01**	**02**	**04**	01	02	04
4	राजनीति एवं लोक प्रशासन	01	01	03		01		**01**	**02**	**03**	01	02	03
5	समाजशास्त्र/सामाजिक विज्ञान/समाज कार्य	01	02	04	01	02	02	**02**	**04**	**06**	01	02	04
6	अर्थशास्त्र	01	01	02		01	01	**01**	**02**	**03**	01	02	02
7	दृष्टिबाधितार्थ	01	01	03		01		**01**	**02**	**03**		02	03
8	श्रवणबाधितार्थ	01	01	03		01		**01**	**02**	**03**		02	02
9	मानसिक मंदितार्थ	01	01	02		01	01	**01**	**02**	**03**		01	03
10	प्रबन्धशास्त्र	01	01	02		01	01	**01**	**02**	**03**	01	01	02
11	वाणिज्य	01	01	02		01	01	**01**	**02**	**03**	01	02	03
12	विधि	01	02	04				**01**	**02**	**04**	01		04
13	ललित कला	01	02	04				**01**	**02**	**04**			01
	कुल योग	**13**	**18**	**39**	**01**	**10**	**07**	**14**	**28**	**46**	**09**	**20**	**37**

विश्वविद्यालय में उपरोक्त तालिका के अनुसार बी0ए0, एम0ए0, बी0काम, बी0काम0–एल0एल0बी0, एम0एस0डब्लू0, एम0बी0ए0 एवं डी0एड, बी0एड0 व एम0एड0 (विशेष शिक्षा) के पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिसमें 50 प्रतिशत सामान्य विद्यार्थियों को एवं 50 प्रतिशत निःशक्त विद्यार्थियों को प्रवेश प्रदान करते हुए पठन–पाठन का कार्य प्रारम्भ है।

विश्वविद्यालय में आगामी सत्र 2015–16 **से कम्प्यूटर तथा इन्फार्मेशन टेक्नॉलाजी संकाय** के अन्तर्गत **कम्प्यूटर विज्ञान विभाग** एवं **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संकाय के अर्न्तगत गणित एवं सांख्यिकी विभाग** तथा **संगीत एवं ललितकला संकाय** के अन्तर्गत **ललित कला विभाग एवं संगीत विभाग** प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।

प्रस्तावः–

कृपया विद्या परिषद् उपरोक्त पर अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

निर्णयः–

विद्या परिषद द्वारा वांछित अनुमोदन प्रदान किया गया।

(अखिलेन्द्र कुमार)
कुलसचिव
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ

(Dr. Nishith Rai)
Vice-Chancellor
Dr. Shakuntala Misra
National Rehabilitation University
Lucknow

बिन्दु संख्याः 2.7

विश्वविद्यालय में द्वितीय दीक्षान्त समारोह आयोजित किये जाने के सम्बंध में।

विश्वविद्यालय में दिनांक 30 सितम्बर, 2014 को प्रथम दीक्षान्त समारोह का आयोजन किया जा चुका है। प्रथम दीक्षान्त समारोह में शैक्षणिक सत्र 2009–10, 2010–11, 2011–12, 2012–13 एवं 2013–14 में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में उत्तीर्ण कुल 633 विद्यार्थियों को उपाधि प्रमाण–पत्र प्रदान/वितरित किये गये।

शैक्षणिक सत्र 2014–15 में उत्तीर्ण होने वाले समस्त विद्यार्थियों को उपाधि प्रमाण–पत्र प्रदान/वितरित किये जाने हेतु प्रस्ताव है कि विश्वविद्यालय में द्वितीय दीक्षान्त समारोह का आयोजन माह सितम्बर–अक्टूबर, 2015 में सम्पन्न कराया जा सकता है। इस दीक्षान्त समारोह में भारत के माननीय प्रधानमंत्री अथवा माननीय राष्ट्रपति महोदय को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाना उचित होगा।

प्रस्तावः–

कृपया विश्वविद्यालय में सितम्बर–अक्टूबर, 2015 माह में द्वितीय दीक्षान्त समारोह का आयोजन किये जाने सम्बंधी प्रस्ताव पर विद्या परिषद् अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

निर्णयः–

विद्या परिषद द्वारा वांछित अनुमोदन प्रदान किया गया। आगामी शैक्षणिक सत्र 2015–16 के लिये एकेडमिक कलेण्डर तैयार कर विद्या परिषद एवं कार्यपरिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

(अखिलेन्द्र कुमार)
कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ

(Dr. Nish...)
Vice-Chancellor
Dr. Shakuntala Misra
National Rehabilitation University
Lucknow

बिन्दु संख्याः 2.8

यू0जी0सी0 अधिनियम, 1956 की धारा–12(B) अन्तर्गत समावेशन के सम्बन्ध में।

विश्वविद्यालय को यू0जी0सी0 अधिनियम, 1956 की धारा–12(B) अन्तर्गत समावेशन एवं अनुदान हेतु प्रेषित प्रस्ताव के क्रम में दिनांक 29 एवं 30 नवम्बर, 2014 को यू0जी0सी एक्सपर्ट कमेटी द्वारा किये गये निरीक्षण एवं उनकी निरीक्षण रिपोर्ट के अनुक्रम में विश्वविद्यालय को 12(बी) के अन्तर्गत अनुमोदन प्रदान किया गया है **(परिशिष्ट–01 संलग्न)**।

प्रस्तावः–कृपया विद्या परिषद् उपरोक्त से अवगत होना चाहें।

निर्णयः–

विद्या परिषद उपरोक्तानुसार प्रस्ताव से अवगत हुई।

(अखिलेन्द्र कुमार)
कुलसचिव
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ

(Dr. Nishith Rai)
Vice-Chancellor
Dr. Shakuntala Misra
National Rehabilitation University
Lucknow

बिन्दु संख्याः 2.9

विश्वविद्यालय में (ललित कला विभाग) के अधीन फाइन आर्ट्स पाठ्यक्रमों के संचालन के सम्बन्ध में।

विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2015–16 में (ललित कला संकाय) के अर्न्तगत् पाठ्यक्रमों के संचालन किये जाने हेतु प्रस्ताव निम्नवत् हैः–

1. सर्टिफिकेट इन आर्ट्स एप्रीशिएसन
2. बैचलर ऑफ विजुअल आर्ट्स–पेटिंग
3. पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन आर्ट् एजुकेशन
4. मास्टर ऑफ विजुअल आर्ट्स–पेटिंग
5. कला संकायान्तर्गत कला स्नातक (B.A.) पाठ्यक्रम में चित्रकला विषय का ऐच्छिक विषय के रूप में प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है **(परिशिष्ट–01संलग्न)।**

प्रस्तावः–

कृपया उपरोक्त से अवगत होते हुये विद्या परिषद् अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

निर्णयः–

विद्या परिषद द्वारा वांछित अनुमोदन प्रदान किया गया।

(अखिलेन्द्र कुमार)
कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ

(Dr. Nishith Rai)
Vice-Chancellor
Dr. Shakuntala Misra
National Rehabilitation University
Lucknow

बिन्दु संख्याः 2.10

विधि संकाय में शैक्षिक / गैर–शैक्षिक संवर्ग में अतिरिक्त पदों का सृजन, हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषा विभाग में अतिरिक्त पद सृजन तथा विश्वविद्यालय में कृत्रिम अंग एवं पुनर्वास केन्द्र की स्थापना व उससे सम्बन्धित पाठ्यक्रम संचालित किये जाने के सम्बन्ध में।

(क) विधि संकाय के अन्तर्गत संचालित पांच वर्षीय इन्ट्रीग्रेटेड पाठ्यक्रम हेतु भारतीय विधिज्ञ परिषद, नई दिल्ली के मानकानुसार निम्नानुसार प्रस्ताव संकाय द्वारा उपलब्ध कराया गया है, जिस पर विचार किया जाना है :

Particulars	Ist Year	IInd Year	IIIrd Year	IVth Year	Vth Year	Existing Faculty
Faculty Requirement: Principal/Head/Dean	01	-	-	-	-	01
English	01	-	-	-	-	NIL
Core Faculty requirement 3 for three subject(Commerce)	03	02	-	-	-	NIL
Core Faculty(Law)	02	02	02	03	06	04
Lab Assistant/Tutorial Faculty	01	-	-	-	-	

अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय में विधि संकाय को भारतीय विधिज्ञ परिषद, नई दिल्ली द्वारा प्रारम्भ के 02 शैक्षिक सत्र (2014–15, 2015–16) के लिए बी0काम0एल0एल0बी0(आनर्स) पाठ्यक्रम संचालित किये जाने हेतु मान्यता प्रदान की है। उक्त संकाय के अन्तर्गत पदों के सृजन शासनादेश के अनुसार प्रोफेसर का 01 पद, एसोसिएट प्रोफेसर का 02 पद एवं असिस्टेण्ट प्रोफेसर के 04 पद स्वीकृत है, जिसमें से वर्तमान में प्रोफेसर का 01 पद, असिस्टेण्ट प्रोफेसर के 04 पदों पर शिक्षकवृन्द कार्यरत हैं।

आगामी शैक्षिक सत्रों से इस पाठ्यक्रम के सतत् संचालन हेतु भारतीय विधिज्ञ परिषद, नई दिल्ली द्वारा निर्गत गाइड लाइन के अनुसार **अंग्रेजी** का 01 शिक्षक एवं **वाणिज्य** के 05 शिक्षक, विषय विशेषज्ञ, के पदों के सृजन की नितान्त आवश्यकता है, इसके साथ–साथ गैर–शैक्षिक संवर्ग के अन्तर्गत लैब असिस्टेण्ट के 01 का भी सृजन किया जाना आवश्यक है।

पंचवर्षीय पाठ्यक्रम को दृष्टिगत विधि के भारतीय विधिज्ञ परिषद, नई दिल्ली के मानकानुसार विधि के 09 अतिरिक्त विधि शिक्षक के पद सृजन की आवश्यकता है।

अतः प्रस्ताव है कि विधि संकाय के अन्तर्गत पंचवर्षीय संचालित बी0काम0एल0एल0बी0(आनर्स) पाठ्क्रम में भारतीय विधिज्ञ परिषद, नई दिल्ली द्वारा निर्गत गाईड लाइन के अनुसार **अंग्रेजी विषय** हेतु असिस्टेण्ट प्रोफेसर का 01 पद, **वाणिज्य विषय** हेतु असिस्टेण्ट प्रोफेसर के 05 पद, **विधि विषय** हेतु एसोसिएट प्रोफेसर के 02 पद व असिस्टेण्ट प्रोफेसर के 07 पद एवं लैब असिस्टेण्ट का 01 पद सृजित कराने जाने हेतु शासन से अनुरोध किया जा सकता है।

कृपया विद्या परिषद उपरोक्त पदों के सृजन किये जाने पर अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

(ख) विश्वविद्यालय में कला संकाय के हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषा विभाग के अन्तर्गत पाठ्यक्रम का विस्तार करते हुए प्रयोजनमूलक हिन्दी, भारतीय साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन, हिन्दी भाषा विज्ञान, अनुवाद विज्ञान, सुगम हिन्दी(विदेशियों के लिए) सर्जनात्मक लेखन और हिन्दी पत्रकारिता के नए पाठ्यक्रम संचालित किये जाने के उद्देश्य से पूर्व में इस विभाग में सृजित पदों के अतिरिक्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानकानुसार **हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषा विभाग** के अन्तर्गत

(अखिलेन्द्र ...)
कुलसचिव

प्रोफेसर का 01 पद, एसोसिएट प्रोफेसर का 02 पद एवं असिस्टेण्ट प्रोफेसर के 04 पद की अतिरिक्त सृजन किये जाने की आवश्यकता है।

कृपया उपरोक्तानुसार विभागाध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव के मानकानुसार **हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषा विभाग** के अन्तर्गत प्रोफेसर का 01 पद, एसोसिएट प्रोफेसर का 02 पद एवं असिस्टेण्ट प्रोफेसर के 04 पद की अतिरिक्त सृजन कराये जाने हेतु शासन से अनुरोध किये जाने पर अनुमोदन प्रदान करने हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।

(ग) विश्वविद्यालय में विकलांगो हेतु ''कृत्रिम अंग एवं पुनर्वास केन्द्र'' स्थापित किये जाने एवं उससे सम्बन्धित पाठ्यक्रम संचालित किये जाने के सम्बन्ध में।

विश्वविद्यालय के पदों का सृजन शासनादेश सं. 2983/65–2–208–57 (विविध)/2010 विकलांग जन विकास अनुभाग–2 दिनांक 30.12.2008 के माध्यम से विश्वविद्यालय के पठन–पाठन हेतु कुल 29 विभागों का गठन किया गया है। उक्त शासनादेश में विशेष शिक्षा के अन्तर्गत सृजित विभागों में डी0एड, बी0एड एवं एम0एड विशेष शिक्षा के पाठ्यक्रम का संचालन वर्तमान में किया जा रहा है।

उक्त पद सृजन शासनादेश में **'पुनर्वासन एवं बहुविकलांग विभाग'** में अन्तर्गत प्रोफेसर का 01 पद एवं एसोसिएट प्रोफेसर का 01 एवं असिस्टेण्ट प्रोफेसर का 03 पदों का सृजन किया गया है, परन्तु विगत वर्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा–12 बी के अन्तर्गत सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय में क्रियाशील 11 विभागों में यू0जी0सी0 के मानकानुसार पदों के सृजन हेतु कतिपय अक्रियाशील विभाग के पदों को आस्थगित करते हुए हस्तान्तरित किये जाने हेतु शासनादेश सं0 62/डी0एस–609/65–3–2014–07(वि0वि0)/2009 दिनांक 22.07.2014 द्वारा **पुनर्वासन एवं बहुविकलांग विभाग** के अन्तर्गत सृजित पदों में से निम्नानुसार पदों के स्थानान्तरण किये जाने की अनुमति प्रदान की गई है –

पदनाम	शासनादेश सं. 2983/65–2–208–57(विविध)/2010 दि0 30.12.2008	शा0 सं0 62/डी0एस–609/65–3–2014–07(वि0वि0)/2009 दिनांक 22.07.2014 द्वारा आस्थगित पद के उपरान्त शेष रह गये पद	अभ्युक्ति
प्रोफेसर	01	00	वर्तमान में सृजित पदों में से मात्र 01 पद असि0 प्रोफेसर का शेष रह गया है।
एसोसिएट प्रोफेसर	01	00	
असिस्टेण्ट प्रोफेसर	03	01	

उल्लेखनीय है कि मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 द्वारा विकलांगजनों के कृत्रिम अंग की सुविधा से सम्पूर्ण प्रदेश को लाभान्वित करने की उद्देश्य की पावन मंशा के अनुरूप प्रदेश के इस विश्वविद्यालय में कृत्रिम अंग केन्द्र स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

परन्तु वर्तमान में विश्वविद्यालय के **'पुनर्वासन एवं बहुविकलांग विभाग'** में आस्थगित पद के उपरान्त असिस्टेण्ट प्रोफेसर का मात्र 01 पद ही सृजित है। अतः विकलांगो हेतु **कृत्रिम अंग एवं पुनर्वास केन्द्र** स्थापित करने एवं इस विभाग के अन्तर्गत पठन–पाठन हेतु यह केन्द्र एक प्रयोगशाला(लैब) के रूप में **बी.पी.ओ. पाठ्यक्रम** के अध्ययनत विद्यार्थियों के लिए अनिवार्यता का उपयोग किया जा सकता है, जिसके संचालित किये जाने हेतु भारतीय पुनर्वास परिषद के मानकानुसार पदों के सृजन की नितान्त आवश्यकता होगी।

कार्यपरिषद की तेरहवीं बैठक के बिन्दु सं0–13.31(8) में विश्वविद्यालय में **बी.पी.ओ. एवं बी.ए.एस. एल.पी.** पाठ्यक्रम संचालित किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है तथा विश्वविद्यालय की सामान्य परिषद की दिनांक 24.07.2014 को आयोजित प्रथम बैठक में भी अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है।

(अखिलेश कुमार)
कुलसचिव
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ

Dr. Nishith Rai
Vice Chancellor
Dr. Shakuntala Misra
National Rehabilitation University
Lucknow

उल्लेखनीय है कि भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली द्वारा प्रसारित पाठ्यक्रमों को विश्वविद्यालय में संचालित किये जाने हेतु पाठ्यक्रम के मानकानुसार प्रत्येक पाठ्यक्रम में पृथक से पदों का सृजन किये जाने का उल्लेख है। चूंकि विश्वविद्यालय की स्थापना निःशक्तजनों को उच्च शिक्षा प्रदान करते हुए समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के उद्देश्य से की गई है, जिसके फलस्वरूप विश्वविद्यालय में विकलांगता से सम्बन्धित विशेष शिक्षा के **BASLP** एवं **BPO** पाठ्यक्रमों का संचालन किये जाने की आवश्यकता है जिसके अनुसार प्रथम चरण में न्यूनतम् आवश्यक पदों का सृजन निम्नानुसार किया जाना प्रस्तावित है–

BACHELOR OF AUDIOLOGY AND SPEECH LANGUAGE PATHOLOGY (BASLP) पाठ्यक्रम संचालन हेतु		
क्र.सं.	पदनाम	पदों की संख्या
1-	Professor	01
2-	Associate Professor	02
3-	Assistant Professor	04
4-	Assistant Professor in Clinical Psychology	01
5-	Assistant Professor in Linguistics	01
6-	Speech Pathologist/Audiologist (Grade-I) (Clinical Supervisor)	01
7-	Speech Pathologist/ Audiologist (Grade- II)	02
8-	Ear Mould Technician	01
9-	Hearing aid Technician	01
BACHELOR IN PROSTHETICS AND ORTHOTICS (BPO) पाठ्यक्रम संचालन हेतु		
1-	Professor (Physical medicine and Rehabilitation)	01
2-	Professor (Proshetics and Orthotics)	01
3-	Associate Professor	02
4-	Assistant Professor in Prosthetics & Orthotics	04
5-	Demonstrators Prosthetic & Orthotic	08
6-	Instructors in Surgical Shoes & Leather Works	02
Artificial Limb & Rehabilitation Centre के वर्कशाप की स्थापना हेतु		
1-	Workshop Manager	01
2-	Assistant Workshop Manager	01
3-	Electronics Engineer(R & D Section)	01
4-	Public Relation Officer	01
5-	Senior Prosthetist	01
6-	Senior Orthotist	01
7-	Prosthetist	02
8-	Orthotist	02
9-	Rehabilitation Officer	01
10-	Sr. Prosthetic Technician	01
11-	Sr. Orthotic Technician	01
12-	Sr. Leather Technician	01
13-	Jr. Prosthetic Technician	02
14-	Jr. Orthotic Technician	02
15-	Jr. Leather Technician	02
16-	Shoe Maker	02
17-	Cobbler	02
18-	Storekeeper	01

(अखिलेन्द्र कुमार)
कुलसचिव
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय

(D...
Vice-...
Dr. Sha...
National Rehabili...
Lucknow

उपरोक्त पदों के सापेक्ष शैक्षिक अर्हता/भर्ती का स्रोत भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली द्वारा निर्गत मानकों के अनुसार की जायेगी। शेष तकनीकी स्टाफ एवं अन्य फैकल्टी सदस्य प्रथमतः पाठ्यक्रम के संचालन के उपरान्त पार्ट–टाइम के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित है, जिसका विवरण निम्नानुसार है–

BASLP पाठ्यक्रम संचालन हेतु Guest Faculty		
क्र.स.	पदनाम	पद की संख्या
1.	01 Medical faculty (As per requirement of the paper)	1
2.	Ear Mould Technician	1
3.	Librarian/Staff	1 +1
4.	Visiting Faculty for Anatomy and Physiology	1

BPO पाठ्यक्रम संचालन हेतु Guest faculty	
1. Anatomy	9. Orthopedics & Amputation Surgery
2. Physiology	10. Bio-Mechanics
3. Sociology & Psychology	11. Fundamentals of Electricity & Electronics
4. Technical Drawing	12. Physical Medicine & Rehabilitation
5. Applied Mechanics & Strength of Material	13. Research Methodology
6. Workshop Technology	14. Computer Science
7. Material Science	15. Workshop Management
8. Pathology	
NOTE: 1. Guest faculty to be arranged from Medical College/ Hospital for Medical & related subjects	

उल्लेखनीय है कि सम्पूर्ण प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली के BASLP एवं BPO पाठ्यक्रम का संचालन नहीं किया जा रहा है, ऐसी स्थिति में उपरोक्त पाठ्यक्रमों का संचालन यदि इस विश्वविद्यालय में किया जाय तो पुनर्वासन एवं बहुविकलांगता क्षेत्र में प्रदेश में ही नहीं वरन् सम्पूर्ण भारत में इस विश्वविद्यालय को एक बहुआयामी पहचान मिल सकती है।

विश्वविद्यालय में उपर्युक्त के अनुसार BASLP एवं BPO के यथाप्रार्थित पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली के मानकानुसार यथावांछित पदों को सृजित कराये जाने एवं कृत्रिम अंग एवं पुनर्वास केन्द्र की स्थापना पर अनुमोदन प्रदान करने हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।

प्रस्तावः–

कृपया विद्या परिषद उपरोक्त तीनो प्रस्तावों पर यथाप्रार्थित अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

निर्णयः–

उपरोक्तानुसार (1) विधि संकाय में शैक्षिक/गैर–शैक्षिक संवर्ग में अतिरिक्त पदों का सृजन के संबंध में। (2) हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषा विभाग में अतिरिक्त पद सृजन के संबंध में। (3) विश्वविद्यालय में कृत्रिम अंग एवं पुनर्वास केन्द्र की स्थापना व उससे सम्बन्धित पाठ्यक्रम संचालित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्तावों पर विद्या परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

(अखिलेन्द्र कुमार)
कुलसचिव
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ

(Dr. Nishith Rai)
Vice-Chancellor
Dr. Shakuntala Misra
National Rehabilitation University
Lucknow

बिन्दु संख्याः 2.11

दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से विभिन्न मण्डलों में दूरस्थ शिक्षा के पाठ्यकमों के संचालन हेतु केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में।

विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा (4) के अन्तर्गत विहित प्रावधान के कम में विश्वविद्यालय में दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से विभिन्न पाठ्यकमों एवं उससे सम्बन्धित विषयों पर जानकारी एवं ज्ञान के संवर्धन व विस्तार को कार्यरूप दिये जाने हेतु विभिन्न मण्डलों में विशेष शिक्षा के पाठ्यकमों को दूरस्थ शिक्षा संचालन हेतु प्रथम चरण के एक्शन प्लान को तैयार किये जाने हेतु कमेटी का गठन कुलपति महोदय की अध्यक्षता में किया जा चुका है **(परिशिष्ट–01 संलग्न)।**

प्रस्तावः–

कृपया विद्या परिषद् उपरोक्त प्रस्ताव पर विचार करते हुये आवश्यक कार्यवाही पर मार्गदर्शन प्रदान करना चाहें।

निर्णयः–

विद्या परिषद् द्वारा दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से विभिन्न मण्डलों में दूरस्थ शिक्षा के पाठ्यकमों के संचालन हेतु मण्डलीय मुख्यालयों में अध्ययन केन्द्र स्थापित किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया। उक्त माध्यम से पाठ्यकमों के संचालन हेतु गठित समिति द्वारा इग्नू/कर्नाटक ओपेन यूनिवर्सिटी/कोटा मुक्त विश्वविद्यालय आदि का अध्ययन कर एक्शन प्लान के साथ–साथ स्वयं अध्ययन सामग्री तैयार कर प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

(अखिलेन्द्र कुमार)
कुलसचिव
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ

(Dr. Nishith Rai)
Vice-Chancellor
Dr. Shakuntala Misra
National Rehabilitation University
Lucknow

बिन्दु संख्याः 2.12

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दु।

(क) विश्वविद्यालय में मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका दिखाये जाने हेतु दर निर्धारित किये जाने के सम्बंध में।

माननीय कुलपति जी द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ की भॉति विभिन्न पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों को मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाऐं दिखाये जाने हेतु शुल्क रू0 300/–प्रति प्रश्न–पत्र निर्धारित किया गया है।

प्रस्तावः–

कृपया विद्या परिषद् उक्त निर्धारित दर पर अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

निर्णयः–

विद्या परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय में मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकायें दिखाये जाने हेतु शुल्क रू0 50/–प्रति प्रश्न पत्र निर्धारित किया गया।

(ख) अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक में उठाये गये अन्य बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त विद्या परिषद द्वारा निम्नलिखित अन्य निर्णय भी लिये गये हैं–

1. विधि विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा विधि पाठ्यकमों के अंतर्गत एल.एल.एम. पाठ्यकम के नियमित एवं स्ववित्तपोषित कार्यकम आगामी सत्र से प्रारम्भ/संचालन हेतु निर्णय लिया गया कि विधि विभाग द्वारा भारतीय विधिज्ञ परिषद एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्धारित मानक के अनुसार प्रस्ताव तैयार कर अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाय।

2. विद्यार्थियों हेतु एजूकेशनल टूर की व्यवस्था हेतु विभागवार कार्ययोजना तैयार कर प्रस्तुत की जाय।

3. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देश के कम में पर्यावरण अध्ययन विषय विश्वविद्यालय द्वारा समस्त स्नातक स्तरीय पाठ्यकमों में लागू हैं। उक्त पाठ्यकम को आगामी सत्र 2015–16 में तृतीय सेमेस्टर में उत्तीर्ण करना होगा तथा पूर्व में अध्ययनरत विद्यार्थियों की उक्त परीक्षा माह जुलाई, 2015 में सम्पन्न करा ली जाय।

4. विद्यार्थियों में अंग्रेजी में सुगमता से वार्तालाप एवं व्यक्तित्व विकास हेतु अंग्रेजी की विशेष कक्षाओं का संचालन प्रारम्भ कराया जाय।

(Akhilendra Kumar)
Registrar
Dr. Shakuntala Misra
National Rehabilitation University
Lucknow

(Dr. Nishith Rai)
Vice-Chancellor
Dr. Shakuntala Misra
National Rehabilitation University
Lucknow

डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्री[...] विश्वविद्यालय,लखनऊ
Dr. Shakuntala Misra Nation[...]ion University, Lucknow
मोहान रोड, लखनऊः 226 017 दूरभाष नं0–800493005[...]30/1/2/3294434 वेबसाइटः http://dsmru.up.nic.in

198

प्रेषक

कुलसचिव,
डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ।

सेवा में,

1. कुलपति/अध्यक्ष
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

2. डॉ0 वन्दना सहगल
एसोसिएट प्रोफेसर,
गर्वमेण्ट कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, लखनऊ विश्वविद्यालय।

3. डॉ0 प्रशान्त श्रीवास्तव
प्रोफेसर,
लखनऊ विश्वविद्यालय।

4. डॉ0 वर्षा श्रीकान्त गट्टू
विभागाध्यक्ष, शिक्षाशास्त्र,
अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान, मुम्बई।

5. प्रो0 अरूण कुमार मित्तल
विभागाध्यक्ष, मेकेनिकल एण्ड इंजीनियरिंग विभाग आई.ई.टी., डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ।
(विशेष आमंत्री सदस्य)।

6. प्रो0 वी. के. सिंह
इलेक्ट्रॉनिक कम्यूनिकेशन एण्ड वल्ड बैंक कोआर्डिनेटर, आई.ई.टी., डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ।
(विशेष आमंत्री सदस्य)।

7. निदेशक
विकलांगजन विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

8. समस्त विभागाध्यक्षगण
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

9. डा0 अम्बिका प्रसाद तिवारी
अधिष्ठाता शैक्षणिक एवं शैक्षणिक सलाहाकार (मा0 कुलपति), विश्वविद्यालय।

10. डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह
एसोसिएट प्रोफेसर, हिन्दी विभाग
विश्वविद्यालय।

11. डॉ0 सौम्या शंकर
असिस्टेण्ट प्रोफेसर,
समाजशास्त्र विभाग, विश्वविद्यालय।

12. कुलसचिव
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

पत्रांक : 1066 /फा0सं0–568/डाशमिरापुविवि/वि0परि0/तृतीय बैठक/2015–16 दिनांकः 29.09.2015

विषयः–डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ की विद्या–परिषद की तृतीय बैठक के सम्बन्ध में।

महोदय,

डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ की विद्या–परिषद की तृतीय–बैठक दिनांक 03.10.2015 (शनिवार) को मध्याह्न 12.00 बजे कुलपति महोदय की अध्यक्षता में सभागार, पंचम तल डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ में आहूत की गयी है।

विद्या परिषद के सम्मानित सदस्य के रूप में आपको इस बैठक में सादर आमंत्रित करने का मुझे निदेश हुआ है। विद्या परिषद की बैठक का एजेण्डा बिन्दु पृथक से प्रेषित किया जायेगा।

भवदीय,

(बृजेन्द्र सिंह)
कुलसचिव (का0)

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वित्त अधिकारी, विश्वविद्यालय।
2. परीक्षा नियंत्रक, विश्वविद्यालय।
3. सहायक कुलसचिव, विश्वविद्यालय।
4. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी/समस्त कार्यालय अधीक्षक।

(बृजेन्द्र सिंह)
कुलसचिव (का0)

डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय,लखनऊ
Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow
मोहान रोड, लखनऊ: 226 017 दूरभाष नं0–8004930056/0522-2999862/2998380/1/2/3294434 वेबसाइट: http://dsmru.up.nic.in

प्रेषक

कुलसचिव,
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ।

सेवा में,

1. **कुलपति / अध्यक्ष**
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

2. **डॉ0 वन्दना सहगल**
एसोसिएट प्रोफेसर, गर्वमेण्ट कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, लखनऊ विश्वविद्यालय।

3. **डॉ0 प्रशान्त श्रीवास्तव**
प्रोफेसर,
लखनऊ विश्वविद्यालय।

4. **डॉ0 वर्षा श्रीकान्त गट्टू**
विभागाध्यक्ष, शिक्षाशास्त्र,
अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान, मुम्बई।

5. **प्रो0 अरूण मित्तल**
विभागाध्यक्ष, मेकेनिकल एण्ड इंजीनियरिंग विभाग
आई.ई.टी., डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ, (विशेष आमंत्री सदस्य)।

6. **प्रो0 वी.के.सिंह**
इलेक्ट्रॉनिक कम्यूनिकेशन एण्ड वल्ड बैंक कोआर्डिनेटर, आई.ई.टी., डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ, (विशेष आमंत्री सदस्य)।

7. **निदेशक**
विकलांगजन विकास विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

8. **समस्त विभागाध्यक्ष**
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

9. **डा0 अम्बिका प्रसाद तिवारी**
अधिष्ठाता शैक्षणिक एवं शैक्षणिक सलाहाकार
(मा0 कुलपति), विश्वविद्यालय।

10. **डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह**
एसोसिएट प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, विश्वविद्यालय।

11. **डॉ0 सौम्या शंकर**
असिस्टेण्ट प्रोफेसर,
समाजशास्त्र विभाग, विश्वविद्यालय।

12. **कुलसचिव**
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

पत्रांक :1182/पत्रा0–568/डीएसएमएनआरयू/विद्यापरि0/तृतीय बैठक/2015–16 **दिनांक20.10.2015**

विषयः–डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ विद्या–परिषद की तृतीय बैठक दिनांक 03.10.2015 के कार्यवृत्त के प्रेषण के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ **विद्या–परिषद** की आहूत **"तृतीय बैठक"** दिनांक 03.10.2015 में लिये गये निर्णयों के कार्यवृत्त की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किये जाने का मुझे निदेश हुआ है।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय

(बृजेन्द्र सिंह)
कुलसचिव (का0)

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार
प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वित्त अधिकारी, विश्वविद्यालय।
2. सहायक कुलसचिव, विश्वविद्यालय।
3. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी/समस्त कार्यालय अधीक्षक।

(बृजेन्द्र सिंह)
कुलसचिव (का0)